न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 29/2016 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— राजेश गेरा पुत्र डॉ. सी.एल.गोरखा जाति गेरा निवासी शिव नगर, एस.एस.बी. रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

— बनाम —

स्टेट ऑफ राजस्थान।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट

श्री कमलजीतसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 16.10.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.01.2016, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील दिनांक 22.11.16 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने वृद्ध पिता श्री सी.एल. गोरखा पुत्र जगन्ननाथ के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 682/70 डीएम श्रीगंगानगर पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इसके समर्थन में अपीलांट ने अपने स्वयं का एवं अपने पिता की सहमति का शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किये । इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, अति.पुलिस अधीक्षक (विशा) श्रीगंगानगर, सीआईडी(एटीसी) जयपुर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक 2107 दिनांक 30.10.14 द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बतलाया । प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के विपरीत प्रतिवेदन एवं परिपत्र दिनांक 31.3.10 की शर्तें पूर्ण नहीं होने के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2016 से निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है । अभिभाषक अपीलांट ने मियाद बिन्दु पर बहस में अवगत कराया अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । । प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर न्याय हित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई का वरवक्त बहस मुख्य रुप से कथन है कि अति.पुलिस अधीक्षक (विशा), सी.आई.डी. विभाग, जयपुर अपनी रिपोर्ट में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है। केवल जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 30.10.14 में यह अंकित कर कि "अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित है।" जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट में उक्त कथन बिना किसी कारण के अंकित किया है, जिसके आधार पर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट अपने वृद्ध पिता के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन सं. 21491 को अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवा कर दर्ज करवाना चाहता है। अपीलांट के पिता ने उक्त शस्त्र अपने पुत्र अपीलांट के नाम दिये जाने की सहमति स्वरूप शपथ पत्र भी दिया है। आत्म रक्षार्थ शस्त्र की अत्यावश्यकता रहती है। मातहत अदालतवाला का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून उसूल एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.1.2016 अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री कमलजीतसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम दर्ज करवाने की गरज से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपने नाम से जारी करवाने हेतु दिनांक 24.9.13 को आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिये जाने की वस्तु नहीं है। अपीलांट लाईसेंस क्यों ले रहा है, उसे कौनसा खतरा है ? यह अपीलांट साबित करने में नाकाम रहा है। अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.10.14 में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने को अनुचित बताया है। इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में अति.पुलिस अधीक्षक (विशा), सी.आई. डी. विभाग, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है तथा जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 2107 दिनांक 30.10.14 में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताया है। परन्तुं जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र नहीं दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है। जबकि पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया जाता है। अपीलांट अपने वृध्द प्रकरण में अपने पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताया है परन्तु अनुचित टिप्पणी दिये जाने का कोई कारण उल्लेखित नहीं किया गया है । अतः हम हम जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट से सहमत नहीं है ।
7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड का पूर्ण रुप से अवलोकन नहीं किया गया है।
8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2016 निरस्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाकर वृध्द प्रकरण के अन्तर्गत पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 16.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर